**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1116**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**टेलीविजन पर दवाओं का विज्ञापन**

**1116.डा प्रभा ठाकुरः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ों के दर्द, हृदय रोग तथा दमा इत्यादि जैसी विभिन्न गंभीर

बीमारियों की चिकित्सा हेतु टीवी चैनलों पर प्रचारित नित्य नई इलाज की दवाएं सक्षम औषधि

अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं लाईसेंस प्राप्त होती हैं;

(ख) क्या सरकार की अनुमति के बगैर और लाइसेंस के बगैर ऐसी दवाओं का विज्ञापन करना वैध है;

(ग) क्या बिना किसी प्रयोगशाला परीक्षण के ऐसी दवाओं का विज्ञापन मरीज के स्वास्थ्य के लिए खतरा

और धन का अपव्यय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या

है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम] 1940 के अंतर्गत लाइसेंस के बगैर किसी भी औषधि के विनिर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है और यह एक अपराध है।

**(ख):** अपेक्षित लाइसेंस के बगैर बिक्री के लिए औषधों का विनिर्माण करने की अनुमति नहीं है और इसलिए उन्‍हें विज्ञापित नहीं किया जा सकता है।

**(ग):** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची-एम के अंतर्गत यह व्‍यवस्‍था है कि उत्‍पाद के किसी भी बैच को तब तक बिक्री अथवा आपूर्ति के लिए जारी नहीं किया जाएगा जब तक यह प्रमाणित न किया गया हो कि यह निर्धारित मानकों की अपेक्षा के अनुसार है।

**(घ):** औषधियों के विज्ञापनों को राज्‍य सरकारों द्वारा लागू औषधि और चमत्‍कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम] 1954 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

\*\*\*\*\*